

प्रेषक,

रणवीर प्रसाद,

सचिव,

उ०प्र० शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,

मेरठ, गोण्डा, मुजफ्फरनगर, आगरा, बागपत, चन्दौली, रायवरेली तथा बस्ती।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ: दिनांक- 03 फरवरी, 2022

विषय:- कोविड-19 के संक्रमण से मृत व्यक्तियों के परिजनों (Next of Kin of the deceased) को
रु० 50,000/- प्रति मृतक अनुग्रह सहायता दिये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक राजस्व अनुभाग-11 के शासनादेश संख्या-जी०आई० 105/एक-11-2021-5 (जी०)/2021, दिनांक 23.10.2021 में दिए गए निर्देशों तथा माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दि० 22.11.2021 के अनुपालन में कोविड 19 से मृत व्यक्तियों के परिवारीजन को रु० 50,000/- की अनुग्रह सहायता प्रदान किये जाने हेतु राजस्व अनुभाग-10 के शासनादेश संख्या- 1893/1-10-2021-33(12)/2021 दिनांक 24.11.2021 तथा शासनादेश संख्या- 1928/1-10-2021-33(12)/2021 दिनांक 01.12.2021 द्वारा जनपदों को आवंटित धनराशि के अतिरिक्त जनपदों द्वारा किए गए अनुरोध के दृष्टिगत कोविड-19 से मृत व्यक्तियों के परिवारीजन को रु० 50,000/- की अनुग्रह सहायता प्रदान किये जाने हेतु निम्न विवरण/शर्तों के अधीन कुल रु० 4,42,00,000/- (रु० चार करोड़ बयालीस लाख मात्र) की अतिरिक्त धनराशि सम्बन्धित जिलाधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

(धनराशि रु० लाख में)

क्र०सं०	जनपद का नाम	आवंटन
1	2	3
1	मेरठ	50.00
2	गोण्डा	60.00
3	मुजफ्फरनगर	115.00
4	आगरा	120.00
5	बागपत	22.00
6	चन्दौली	30.00
7	रायवरेली	15.00
8	बस्ती	30.00
योग		442.00

(1) उपरोक्तानुसार सम्बन्धित जिलाधिकारी अनुग्रह धनराशि सम्बन्धित मृतक के विधिक उत्तराधिकारी के बैंक खाते में तत्काल स्थानान्तरित करेंगे।

(2) जिस मद में शासन द्वारा धनराशि स्वीकृत की जा रही है उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा। अन्य किसी भी मद/विभागीय कार्य हेतु धनराशि का व्यय कदापि न किया जाये।

(3) समस्त धनराशि का उपभोग दिनांक 31.03.2022 से पूर्व कर लिया जायेगा। यदि धनराशि अवशेष बचती है तो नियमानुसार दिनांक 31.03.2022 के पूर्व समर्पित कर दी जायेगी।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2021-2022
आवंटन दिनांक-04/03/2022

प्रेषण संख्या:- 349
आवंटन आदेश संख्या:- 209-2021-2022
अनुदान संख्या:- 51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2021-2022 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत(आयोजनेत्तर-मतदेय)
05 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड
800 - अन्य व्यय
06 -
11 - स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से सामान्य व्यय
(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		42-अन्य व्यय	योग
1	मुजफ्फर नगर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	11500000 24000000	11500000 24000000
2	मेरठ-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	5000000 35000000	5000000 35000000
3	आगरा-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	12000000 37700000	12000000 37700000
4	बस्ती-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	3000000 10500000	3000000 10500000
5	रायबरेली-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	1500000 11500000	1500000 11500000
6	गोण्डा-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	6000000 11000000	6000000 11000000
7	चन्दौली-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	3000000 8000000	3000000 8000000
8	बागपत-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	2200000 7200000	2200000 7200000
	योग	वर्तमान प्रगामी	44200000 144900000	44200000 144900000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया चार करोड़ बयालीस लाख

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया चौदह करोड़ उनचास लाख


(अखिलेश प्रताप सिंह)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
(अखिलेश प्रताप सिंह)
राहत आयुक्त कार्यालय
उ० प्र० शासन ।